संख्या-5/2015/सीपी 187/84-2-2015-सीपी 22/88

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2015

विषय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के अंतर्गत 408 अस्थायी पदों का स्थायीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांक 27.02.2015 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हों, भी देय होगें।

3 मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों के दिनांक 27.02.2015 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कॉलम-7 के उल्लिखित शासनादेश संख्या 48/सीपी 466/84-2-2013-सीपी 22/88, दिनांक 10.02.2014 को, जिनमें इन पदों को वर्ष 2014-15 में दिनांक 28.02.2015 तक अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 26.02.2015 तक के लिए ही दी गयी थी।

4 उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष '3456-सिविल पूर्ति आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण' के अंतर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5 प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24 (12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित शर्तो की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

.....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2015/सीपी 187(1)/84-2-2015-सीपी 22/88, दिनांक तदैव

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।

(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

(5) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(7) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

संख्या-5/2015/सीपी 187/84-2-2015-सीपी 22/88 , दिनांक 27.02.2015 द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरमों में दिनांक 27.02.2015 से स्थायी किये गये पदों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अंतिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सांतत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जिला फोरम 10 मण्डलीय जनपद के लिए	रीडर	10	470-15-575-दरों-15-650-17-701-दरों-17-735	सी.पी.50/29-10-सीपी (9)/87दिनांक 05.02.1988	संख्या-48सीपी466/ 84-2-2013-सीपी22/88, दिनांक 10 फरवरी, 2014	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	10	305-5-330-दरों-6-360-दरों-6-390	सी.पी.50/29-10-सीपी (9)/87दिनांक 05.02.1988	तदैव	
		चपरासी	10	305-5-330-दरों-6-360-दरों-6-390	सी.पी.50/29-10-सीपी (9)/87दिनांक 05.02.1988	तदैव	
2.	जिला फोरम 44 जिला मुख्यालयों के लिए	रीडर	42	1200-30-1560-दरों-40-2040	सीपी918/29-10-89-सीपी10/89 दिनांक 26.12.1989	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	42	750-12-870-दरों-14-940	918/29-10-89-सीपी10/89	तदैव	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

					दिनांक 26.12.1989		
		चपरासी	44	750-12-870-दरों-14-940	918/29-10-89-सीपी10/89 दिनांक 26.12.1989	तदैव	
3.	जिला उपभोक्ता फोरम	कनिष्ठ लिपिक	50	950-20-1150-दरों-25-1500	सी.पी. 669/29-10-90-सीपी58/90टी.सी. दिनांक 30.11.1990	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
4.	लखनऊ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद (अतिरिक्त) जिला फोरम	रीडर	04	1200-30-1500-द0रो0-40-2040	सीपी402/29-8-95-सीपी45/95 दिनांक 07.09.1995	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	04	950-20-1150द0रो0-25-1500	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	04	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
		चपरासी	03	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
5.	जिला फोरम अम्बेडकरनगर	रीडर	01	1200-30-1560द0रो0-40-2040	सीपी60/29-8-96-सीपी02/96	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					दिनांक 12.03.1997		द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	01	950-20-1150द0रो025-1500	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	01	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
		चपरासी	01	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
6.	जिला फोरम, भदोही, पडरौना, महोबा	रीडर	03	1200-30-1560-द0रो-40-2040	सी-28/उन्तीस-अनु-3-97-दिनांक 13.03.1997	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	03	950-20-1150-द0रो0-25-1500	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59 /सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	03	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		चपरासी	03	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
		चौकीदार	03	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
7.	जिला फोरम, बलरामपुर, ज्योतिबाफुलेनगर,श्रावस्ती, कौशाम्बी, गौतमबुद्धनगर, चन्दौली, छत्रपति साहू जी महराज नगर सम्प्रति चित्रकूट, हाथरस	रीडर	08	4000-100-6000	सीपी 290/29-8-98-सीपी 33/97 दिनांक 19.03.1998	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	08	3050-75-3950-80-4590	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	08	2250-55-2660-60-3200	तदैव	तदैव	
		चपरासी	08	2250-55-2660-60-3200	तदैव	तदैव	
8.	जिला फोरम, कन्नौज, औरैया, बागपत एवं संतकबीरनगर	रीडर	04	4000-100-6000	सीपी 836/29-डे.ई.1-2007-सीपी 33/97 दिनांक 01.10.2007	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	04	3050-75-3950-80-4590	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

							प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	04	2550-55-2660-60-3200	तदैव	तदैव	
		चपरासी	04	2550-55-2660-60-3200	तदैव	तदैव	
		चौकीदार कम सफाई कर्मचारी	04	2550-55-2660-60-3200	तदैव	तदैव	
9.	जिला फोरम, कांशीराम नगर	रीडर	01	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	सीपी 334/84-2-2009-सीपी33/97 दिनांक 24.08.2009	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	01	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
10.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., लखनऊ	रीडर	01	470-15-575 दरो015-650-17-701दरो017-735	सीपी50/29-10-सीपी(9)/87 दिनांक 05.02.1988	संख्या-48/सीपी466/84-2-2013-सीपी22/88, दिनांक 10 फरवरी, 2014	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/ 84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अर्दली	01	305-5-330-दरों-6-360-दरों-6-390	तदैव	तदैव	
		चपरासी	01	305-5-330-दरों-6-360-दरों-6-390	तदैव	तदैव	
11.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,लखनऊ	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1	01	1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-2600	सी.पी. 669/29-10-90-सीपी58/ 90टी.सी. दिनांक 30.11.1990	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कार्यालय अधीक्षक का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 निर्धारित किया गया है।
		चपरासी	02	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
12.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0, लखनऊ	ड्राइवर	01	950-20-1150-द0रो0-25-1500	सीपी 244/29-8-94-सीपी15/93 दिनांक 22.10.1994	तदैव	
13	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	रीडर	01	1200-50-1500 द0रो0-40-2040	सीपी98/29-8-95-सीपी15/93 दिनांक 13.09.1995	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
14	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ लिपिक	02	950-20-1150द0रो025-1500	661/29-8-95-सीपी58/90 टी.सी. दिनांक 17.07.1995	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/ 84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		चौकीदार	01	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
		चपरासी	01	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
15	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	रजिस्ट्रार	01	2000-60-2300-द0रो0-75-3200	सी.पी.750/29-8-95-सीपी 34/93टीसीदिनांक 28.08.1995	तदैव	उक्त पद उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग का है।
16	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	सहायक लेखाकार	01	1200-30-1560-द0रो040-2040	सीपी 1634/29-8-96-सीपी22/96 दिनांक 27.02.1997	तदैव	शासनादेश संख्या सीपी 661/29-8-2006-44(विविध)/2005 दिनांक 13.09.2006 के क्रम में सहायक लेखाकार का वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया।
		नाजिर कम स्टोर कीपर	01	1200-30-1560-द0रो040-2040	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए नाजिर कम स्टोर कीपर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	01	950-20-1150द0रो025-1500	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/ सीपी445/ 84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		अरेन्जर	01	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		चपरासी/अर्दली/मैसेन्जर	01	750-12-870-द0रो0-14-940	तदैव	तदैव	
17.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	अर्दली (रजिस्ट्रार हेतु)	01	2550-55-2660-60-3200	सीपी2858/29-खा8-2002-सीपी34/93टीसी दिनांक 18.01.2003	तदैव	
18	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	रीडर	02	4000-100-6000	मु.स.-01/29-8-2004-सीपी-11/2003 दिनांक 24.01.2004	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए रीडर का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	04	3050-75-3950-80-4590	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		चपरासी	03	2550-55-2660-60-3200	तदैव	तदैव	
		अर्दली	02	2550-55-2660-60-3200	तदैव	तदैव	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	सहायक निदेशक/ सहायक नियंत्रक	01	850-40-1050 द0रो0-50-1300-60-1420-द0रो0-60-1720	सीपी50/29-10-सीपी(9)/87 दिनांक 05.02.1988 तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-मु.स.10/29-8-2004-सीपी0 1/87 दिनांक 31.03.2004 द्वारा निदेशालय का परिसमापन करते हुए सहायक निदेशक के पद को सहायक निबन्धक के पद में परिवर्तित कर दिया गया है।	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए सहायक निबंधक के पदनाम को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निबंधन प्रतिस्थापित करते हुए वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड पे 4800 निर्धारित किया गया।
		कनिष्ठ लिपिक टंकक	01	354-10-424-द0रो0-10-454-12-514-द0रो0-12-550	सीपी50/29-10-सीपी(9)/87 दिनांक 05.02.1988	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		चपरासी	01	305-5-330-द0रो0-6-360-द0रो0 -6-390	सीपी50/29-10-सीपी(9)/87 दिनांक 05.02.1988	तदैव	
20.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	01	6500-200-10500	शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-मु.स.10/29-8-2004-सीपी0 1/87 दिनांक 31.03.2004 के द्वारा उक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/ 84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4800 निर्धारित किया गया है।
		सहायक लेखाधिकारी	01	6500-200-10500	तदैव	तदैव	वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या एस-2-2329/दस-2011-300(9)(3)/62 दिनांक02 दिसम्बर, 2011

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(राजपत्रित)					द्वारा सहायक लेखाधिकारी का वेतनमान उच्चीकृत करते हुए ग्रेड वेतन 4800 निर्धारित किया गया।
21.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ	कार्यालय अधीक्षक	01	1400-40-1600-50-2300द0रो0-60-2600	सीपी456/29-8-97-सीपी1/87 दिनांक 11.03.1997	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कार्यालय अधीक्षक का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 निर्धारित किया गया है।
		सहायक लेखाकार	01	1200-30-1560द0रो0-40-2040	तदैव	तदैव	शासनादेश संख्या सीपी 661/29-8-2006-44(विविध)/2005 दिनांक 13.09.2006 के क्रम में सहायक लेखाकार का वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया।
		वरिष्ठ सहायक	01	1350-30-1440-40-1800-द0रो50-2200	सीपी456/29-8-97-सीपी1/87 दिनांक 11.03.1997	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/ 84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए वरिष्ठ सहायक का पदनाम प्रधान सहायक प्रतिस्थापित करते हुए ग्रेड वेतन 4200 किया गया।
		वरिष्ठ लिपिक	01	1200-30-1560-दरो0-40-2040	सीपी456/29-8-97-सीपी1/87 दिनांक 11.03.1997	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/ 84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए वरिष्ठ लिपिक का पदनाम वरिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

							वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
		कनिष्ठ लिपिक	01	950-20-1150द0रो025-1500	सीपी456/29-8-97-सीपी1/87 दिनांक 11.03.1997	तदैव	शासनादेश संख्या-59/सीपी445/ 84-2-2013-3(सम0)/2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ लिपिक का पदनाम कनिष्ठ सहायक प्रतिस्थापित किया गया है तथा वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 निर्धारित किया गया है।
		अर्दली	01	750-12-870-द0रो0-14-940	सीपी456/29-8-97-सीपी1/87 दिनांक 11.03.1997	तदैव	
		चपरासी	01	750-12-870-द0रो0-14-940	सीपी456/29-8-97-सीपी1/87 दिनांक 11.03.1997	तदैव	
		वाहन चालक	01	3050-75-3950-80-4590	सीपी 346/29-8-98 दिनांक 30.03.1998	तदैव	
22	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम	आशुलिपिक	38	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	----------	संख्या-48/सीपी466/84-2-2013-सीपी22/88, दिनांक 10 फरवरी, 2014	शासनादेश संख्या 70/सीपी432/84-2-2014-सीपी49/97 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए आशुलिपिक का वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 निर्धारित किया गया है।
23.	तदैव	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	28	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	----------	तदैव	शासनादेश संख्या 70/सीपी432/84-2-2014-सीपी49/97 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 का वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 निर्धारित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	तदैव	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	03	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600	----------	तदैव	शासनादेश संख्या 70/सीपी432/84-2-2014-सीपी49/97 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 का वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 निर्धारित किया गया है।
		योग	**408**				

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।